

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/प/2021 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 13 MAY 2022
आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये श्री रविन्द्र कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद्, सीकर को अपने पद के साथ-साथ नगर विकास न्यास, सीकर में रिक्त अधिशाषी अभियन्ता के पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम रूप से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, सीकर।
7. श्री रविन्द्र कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद्, सीकर।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय